



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57647

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6363/2026

मतीन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: अबू सोफियान उस्मानी, मेराज खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: बबलू पंत, जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अबू सोफियान उस्मानी, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बबलू पंत तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह तत्काल जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 30/2026, धारा 115(2), 333, 191(2), 191(3), 109(1), 352, 351(3) बीएनएस, पुलिस स्टेशन-इंचौली, जिला-मेरठ में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि एफआईआर और घायल के बयान में, आवेदक समेत आठ लोगों के खिलाफ आम आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, बंदूक से चोट पहुंचाने का खास भूमिका सह-आरोपी शोएब को सौंपा गया है और आवेदक को कोई खास भूमिका नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी मुजीब को इस कोर्ट की समन्वय खंडपीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 6891/2026 आदेश दिनांक 10.03.2026 के माध्यम के तहत पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। अतः, आवेदक समानता के आधार पर भी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यह आगे कहा गया कि आवेदक ने संलग्न हलफनामे में पांच मामलों के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 25.01.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत के आवेदन का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

5. मामलों के सभी तथ्य और हालात, पक्षों के अधिवक्ताओं और जुर्म के प्रकार, सबूत, आरोपी की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में आपराधिक मामले बहुत ज्यादा लम्बित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कपिल वधावन केंद्रीय जांच ब्यूरो मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के शासनादेश पर विचार करते हुए, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में प्रतिवेदित किया गया था, और मामले के गुण पर कोई राय दिए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक- **मतीन** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. ज़मानत पर रिहा होने के उपरांत, आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

7. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बॉन्ड स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और ज़मानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया जाएगा, इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह जमानत देने की नीति रणनीति के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए आवेदक को भेजे, जमानत देने के लिए नीति रणनीति, स्वप्रेरणा रिट याचिका (सीआरएल.) संख्या 4/2021 के संबंध में 31.01.2023 को निर्णय (2024) 10 SCC 685 में प्रतिवेदित किया गया।

20 मार्च 2026

एस.सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"